MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि / ग्रुप–5 / PMAY-G / M-I/अ.वि. / 2017–18 जयपुर, दिनांक 03 जनवरी, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों के वित्तीय एवं भौतिक मिलान के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 29.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व राज्य में इन्दिरा आवास योजना (मय रेगुलर, इंसेंटिव, पीवीटीजी, एफआरए एवं विशेष) एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना (वर्ष 2011–12 से 2013–14) संपादित की गई।

प्रासंगिक पत्र संलग्न के द्वारा इन्दिरा आवास योजना (मय रेगुलर, इंसेंटिव, पीवीटीजी, एफआरए एवं विशेष) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मिलान आवास सॉफ्ट के अनुसार किये जाने एवं 31 मार्च, 2018 तक समस्त आवासों को पूर्ण कर आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये जाने के क्रम में दिनांक 23–24 जनवरी, 2018 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

बैठक में निम्नानुसार सूचनाऐं चाही गई है :–

1. जिलों द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दिनांक मार्च व अप्रैल के पीडी खाता एवं बैंक खातें का बैंक समाधान विवरण पत्र प्रेषित किया जावे – पूर्व निर्देशानुसार 31 मार्च, 2016 तक समस्त राशि राज्य के नोडल एकाउन्ट में हस्तानान्तरित कर सभी भुगतान आवास सॉफ्ट के माध्यम से पीएफएमएस प्रणाली से किये जाने थे, जिसकी अनुपालना में जिलों द्वारा राशि हस्तानान्तरित की गई, की सूचना भी प्रेषित करे एवं यदि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान इन योजनाओं के पेटे राशि लाभार्थियों को हस्तानान्तरित की गई हो, तो उसका लाभार्थीवार विवरण तैयार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सीए ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अवशेष राशि नोडल खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराकर शून्य बैलेंस का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे।
2. 31 मार्च, 2018 तक सभी आवासों को पूर्ण करवा लिया जाना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना बंद किये जाने पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा एवं आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित नहीं पूर्ण आवासों को अनिवार्य रूप से 15 जनवरी, 2018 तक प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. ऐसे आवास जिनकी स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई हो, परन्तु आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित हो रही हो तो लाभार्थी का नाम व आईडी के साथ एक्सेल में अंग्रेजी भाषा में प्रेषित की जावे।
4. ऐसे आवास जिनके पेटे दी गई राशि वापस जमा कर ली गई हो, को स्टेट नोडल खाते में जमा करवाते हुए रिफंड मोड्यूल के माध्यम से प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. जिले द्वारा अंतिम यू.सी एवं ऑडिट रिपोर्ट (जिन जिलों द्वारा वर्ष 2016–17 में एवं 2017–18 में स्वयं के स्तर से व्यय किया गया हो तो उसके भी यू.सी एवं ऑडिट रिपोर्ट) प्रेषित की जावे।
6. वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक योजनावार आंकडें निम्न प्रारूप में रिकन्साईलेशन हेतु प्रेषित किये जावे :–

क्र. सं.	वर्ष	आईएवाई रेगुलर,		आईएवाई इंसेंटिव		पीवीटीजी		एफआर ए		विशेष योजना	
		आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत	आवास सॉफ्ट के अनुसार स्वीकृत
1	2011–12										
2	2012–13										
3	2013–14										
4	2014–15										
5	2015–16										
	योग										

7. संलग्न प्रपत्र–अ में वास्तविक रूप से पूर्ण पर आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित नहीं आवासों को अनिवार्य रूप से 15.01.2018 तक ऑनलाईन किया जावे।

उक्त सूचनाऐं ईमेल (pdengg_rdd@yahoo.com) द्वारा दिनांक 15.01.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करे एवं जिले के लेखा एवं तकनीकी अधिकारी के साथ निम्न दिनांकों को हार्ड कॉपी के साथ विभाग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे :–

क्र.स.	जिला	दिनांक	विभागीय नामित अधिकारी/कर्मचारी
1.	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा एवं बीकानेर	16.01.2018	श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी/श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी संकलन दायित्व श्री पंकज बैरवा, कनि0 लेखाकार
2.	बूंदी, चित्तोडगढ, चूरू, दौसा, धौलपुर डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ एवं जयपुर	17.01.2018	श्री रमेश कुमार जैन, परि. अधिकारी/श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी संकलन दायित्व श्री नाहर सिंह, सांख्यिकी निरीक्षक
3.	जैसलमेर, झालावाड, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं नागौर	18.01.2018	श्री मुकेश गुप्ता, सहा. अभियंता/श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी संकलन दायित्व श्री घनश्याम बंशीवाल, सांख्यिकी निरीक्षक
4	पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, स0 माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर	19.01.2018	श्री पराग श्रीवास्तव, सहा. सांख्यिकी अधिकारी/श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी संकलन दायित्व श्रीमती शंकुतला, कनि. लेखाकार

उक्त सभी सूचनाऐं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की भी तैयार कर भिजवावे एवं साथ लेकर आवे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

3.8.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
4. श्री पी.के. सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना अधिकारी लेखा, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियंता, अभि., जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
8. संबंधित अधिकारी/कार्मिक श्री.....को भेजकर निर्देश है कि आवंटित जिलों से सम्पर्क कर उनकी कठिनाईयों को दूर करे एवं नई दिल्ली में बैठक से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रेषित करे।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रपत्र -"अ"

आईएवाई /सीएम बीपीएल योजनान्तर्गत पूर्ण आवासो की संख्या

नाम जिला ....

क्र.सं.	वर्ष	आईएवाई रेगुलर			आईएवाई इनसेन्टिव			पी.वी.टी.जी.			एफ.आर.ए.			मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना			योग		
		स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या	स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या	स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या	स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या	स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या	स्वीकृत की संख्या	आवास सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास की संख्या	वास्तविक रूप से पूर्ण आवास (ऑफ लाईन) की संख्या
1	2011-12																		
2	2012-13																		
3	2013-14																		
4	2014-15																		
5	2015-16																		
	योग																		

M-13015/03/2017-RH(A/C)Meeting
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 29th December, 2017

To

The Principal Secretary/Secretary (RD)
of All States dealing with Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin.

Subject: Financial reconciliation and closure of pending IAY houses on AwaasSoft- reg.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, I am directed to intimate you that the meetings to reconcile the financial figures on AwaasSoft , closure of pending IAY houses and settlement of accounts of various special projects sanctioned under IAY is scheduled to be held in Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi in January-February, 2018 as per schedule attached.

2. The detail of documents required from the States during the discussion in the meeting is given as under:

a). Documents required for financial reconciliation ;

i) Bank Statement for the month of March and April for the years 2016 and 2017.

b). Completion of pending IAY houses and special projects:-

i) The States are required to upload all the pending IAY houses as early as possible as the deadline for reporting all IAY houses is 31st March , 2018.

ii) For closure of IAY cases, the States needs to submit:-

- UCs
- Audit Reports

iii) In case of surrendering the targets, the States need to write to the Ministry explaining the reasons for surrendering.

iv). States are requested to reconcile the IAY figures in AwaasSoft starting from 2011-12 till 2015-16

3. It is requested to kindly depute nodal officer/MIS officer from your State to attend the meeting on scheduled date.

Yours faithfully

Encl: As above

(P.K.Singh)
Under Secretary to Government of India
e-mail:singh.pk@nic.in
Tel:011-23382406

ANNEXURE

S.NO	Region	States	Date
1	South	Telangana Andhra Pradesh Karnataka Kerala Tamil Nadu	**4-5th January, 2018**
2	Central	Madhya Pradesh Chhattisgarh Jharkhand Bihar	**10-11th January, 2018**
3	Northern	J&K Himachal Pradesh Punjab Haryana Uttarakhand UP	**17-18th January, 2018**
4	Western	Rajasthan Gujarat Maharashtra Goa	**23-24th January, 2018**
5	East & NE	West Bengal Odisha N.E	**1-2nd February, 2018**